संख्या–1277/77–6–2023–5(एम)/2013 टी.सी.(मेगा)–1

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश,
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
4. प्रबन्ध निदेशक, पिकप/उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम।

औद्योगिक विकास अनुभाग–6 लखनऊः दिनाँकः 09 अप्रैल, 2023

विषयः–शासनादेश संख्या–1281/77–6–2021–5 (एम)/2013 टी.सी. (मेगा)–1, दिनांक 26 मार्च, 2021 के विषय में स्पष्टीकरण।

महोदय,

शासनादेश संख्या–1395/77–6–2020–5 (एम)/2017 टी.सी.–2, दिनांक 12.06.2020 (यथा संशोधित दिनांक 14.12.2020) द्वारा औद्योगिक विकास नीतियों के अन्तर्गत वित्तीय इन्सेन्टिव के रूप में प्रतिपूर्ति योग्य नेट एस.जी.एस.टी. की गणना के लिए स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (S.O.P.) निर्धारित किया गया है। उपरोक्त शासनादेश दिनांक 26.03.2021 द्वारा उक्त (S.O.P.) विषयक शासनादेश दिनांक 12.06.2020 में संशोधन करते हुए एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति को तेज गति से करने के लिए यह प्राविधान किया गया है कि प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन प्राप्त होने पर एस.ओ.पी. के अनुसार आवेदक इकाई को देय धनराशि के आंकलन का 90 प्रतिशत तत्काल भुगतान कर दिया जाएगा तथा शेष 10 प्रतिशत वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इकाई द्वारा जी.एस.टी.आर.–9 एवं जी.एस.टी.आर.–9सी (वार्षिक कर विवरण, जो ऑनलाईन दाखिल किया जाता है) उसकी प्रति प्रस्तुत करने के उपरान्त किया जाए।

2. राज्य कर विभाग द्वारा निम्न दो तथ्यों की पुष्टि कराने के निर्देश उक्त शासनादेश दिनांक 26.03.2021 में हैं :–

(i) आवेदक इकाई द्वारा जी.एस.टी.आर.–9 एवं जी.एस.टी.आर.–9सी दाखिल किया गया है अथवा नहीं।

(ii) उत्तर प्रदेश एस.जी.एस.टी. अधिनियम में राज्य कर विभाग द्वारा इकाई को कोई नोटिस निर्गत किया गया है अथवा नहीं।

3. उपरोक्त दोनों तथ्यों की पुष्टि के उपरान्त रोके गए शेष 10 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त करने के निर्देश हैं। यानि कि वर्ष के अन्त में प्रश्नगत वित्तीय वर्ष के विषय में दाखिल किए गए टैक्स रिटर्न पर राज्य कर विभाग द्वारा यदि कोई नोटिस नहीं दिया गया है तो शेष 10 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त कर दी जानी चाहिए। राज्य कर विभाग द्वारा जिस प्रोफार्मा पर उपरोक्त सूचनाओं की पुष्टि की जाती है, उसमें भी नोटिस निर्गत करने का एक बिन्दु है, जिसके समक्ष राज्य कर विभाग द्वारा नोटिस न जारी करने की दशा में ''निल'' दर्ज किया जाता है।

4. इसके उपरान्त भी नोडल एजेंसी/पिकप द्वारा यह मानते हुए कि राज्य कर विभाग को नोटिस निर्गत करने का 05 वर्ष तक अधिकार है अतः रोकी गयी 10 प्रतिशत की धनराशि को 05 वर्ष तक रोके रखने की प्रक्रिया नोडल एजेंसी द्वारा अपनाई जा रही है। यह इण्टरप्रेटेशन शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के आशय के रूप में निकालकर आवेदकों/परियोजना प्रस्तावकों की देय धनराशि का

10 प्रतिशत धनराशि रोका गया है। यह नितान्त ही गलत इण्टरप्रेटेशन है और शासनादेश दिनांक 26.03.2021 की मंशा के विपरीत है।

5. यह बिन्दु पिकप के विगत बोर्ड बैठक दिनांक 31.03.2023 में भी विचार–विमर्श के लिए आया और बोर्ड ने भी यह निष्कर्ष निकाला कि जी.एस.टी.आर.–9 एवं जी.एस.टी.आर.–9सी दाखिल करने की पुष्टि के साथ राज्य कर विभाग द्वारा यदि कोई नोटिस निर्गत नहीं करने की सूचना उपलब्ध करायी गयी है तो तत्काल इस धनराशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निर्देशित किया जाता है कि परियोजना प्रस्तावकों (प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट) द्वारा वित्तीय इन्सेन्टिव के लिए प्रस्तुत किए गए दावों के क्रम में सक्षम स्तर से भुगतान हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रोकी गयी 10 प्रतिशत की धनराशि को अगले एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावकों को अवमुक्त किया जाए।

7. प्रबन्ध निदेशक, प्रादेशिक इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश (पिकप)/नोडल एजेंसी इस तरह की रोकी गयी अवशेष 10 प्रतिशत की धनराशि को अगले एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट को अवमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

9.4.23

**(मनोज कुमार सिंह)**
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

संख्याः–1277 (1)/77–6–2023–5(एम)/2013 टी.सी.(मेगा)–1, तद्दिनाँक।

**प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इनवेस्ट यू0पी0 की वेबसाईट पर उक्त शासनादेश अपलोड कराते हुए 150 प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–6
10. नियोजन अनुभाग–1
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

**(मनोज कुमार सिंह)**
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।